न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 86 / 22 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2022 / 269

1. श्री रामचन्द्र पिता इन्दरलाल जी जाति जैन उम्र–वयस्क निवासी–फतहनगर तहसील मावली जिला–उदयपुर (राजस्थान)।

.................प्रार्थी

बनाम

1. श्री शोभागसिंह पिता मोतीलाल जी जाति महाजन उम्र–वयस्क निवासी–फतहनगर तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०) फौत के बजाय

    1/1 श्री सुनिल पिता शोभागसिंह जैन निवासी फतहनगर तहसील मावली जिला उदयपुर।

    1/2 श्रीमती आजाद देवी पत्नी शोभागसिंह जैन निवासी फतहनगर तहसील मावली जिला उदयपुर।

    1/3 श्रीमती गुड्डी देवी पुत्री शोभागसिंह जैन निवासी फतहनगर तहसील मावली जिला उदयपुर।

    1/4 श्रीमती सीमा देवी पुत्री शोभागसिंह जैन निवासी फतहनगर तहसील मावली जिला उदयपुर।

2. श्री गोपाललाल पिता मोडीलाल जी जाति महाजन उम्र–वयस्क निवासी–फतहनगर तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
3. श्री घनश्याम पिता मोडीलाल जी जाति महाजन उम्र–वयस्क निवासी–फतहनगर तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
4. कंकु पुत्री बाबुलाल जी नाबालिग जरिये संरक्षक सरपरस्त माता झमकु पत्नी बाबुलाल जी भील निवासी–फतहनगर तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
5. श्री कन्ना पुत्र टेका जी भील जाति भील उम्र–वयस्क निवासी–फतहनगर तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०) फौत के बजाय

    5/1 शांतिलाल पिता कना भील

6. श्रीमती गंगाबाई पुत्री वेणा जी जाति भील उम्र–वयस्क निवासी–फतहनगर तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
7. ज्ञानी पुत्री बाबुलाल जी नाबालिग जरियें संरक्षक सरपरस्त माता झमकु पत्नी बाबुलाल जी भील निवासी–फतहनगर तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
8. श्रीमती झमकु पत्नी बाबुलाल जी जाति भील उम्र–वयस्क निवासी–फतहनगर तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
9. श्रीमती देवली पुत्री टेका जी जाति भील उम्र–वयस्क निवासी– फतहनगर तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
10. श्री दौलीया पुत्र जालमा जी जाति भील उम्र–वयस्क निवासी–फतहनगर तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०) फौत के बजाय

    10/1 रतन पिता दोलिया

    10/2 कालु पिता दोलिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:59:48 IST
Reason: SelfAttested

11. श्री नाथु पिता वेणा जी जाति भील उम्र–वयस्क निवासी–फतहनगर तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
12. श्री बाबुलाल पुत्र माना जी जाति भील उम्र–वयस्क निवासी–फतहनगर तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
13. श्री भूरा पिता वेणा जी जाति भील उम्र वयस्क निवासी फतहनगर तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०) फौत के बजाय
    13/1 राजु पिता भूरा
14. श्रीमती भागु पुत्री टेका जी जाति भील उम्र–वयस्क निवासी–फतहनगर तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
15. रेखा पुत्री बाबुलाल जी, नाबालिग जरिये संरक्षक सरपरस्त माता झमकु पत्नी बाबुलाल जी भील निवासी–फतहनगर तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
16. श्रीमती रम्भाबाई पत्नी टेका जी जाति भील उम्र–वयस्क निवासी फतहनगर तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
17. श्रीमती रामी पुत्री टेका जी जाति भील उम्र–वयस्क निवासी–फतहनगर तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
18. श्रीमती लेहरीबाई पत्नी वेणा जी जाति भील उम्र–वयस्क निवासी–फतहनगर तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
19. श्री शांतिलाल पुत्र बाबुलाल जी नाबालिग जरिये संरक्षक सरपरस्त माता झमकु पत्नी बाबुलाल जी भील निवासी–फतहनगर तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
20. अधीशाषी अधिकारी, नगर पालिका फतहनगर–सनवाड़ तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)
21. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)

................विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थी।

2. श्री दिलीप वैष्णव, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 5/1, 9, 10/1, 10/2, 14, 17

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 17.03.2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा फतहनगर पटवार हल्का फतहनगर तहसील मावली जिला उदयपुर की आराजी नम्बर 148, 149, 150 किता 3 कुल रकबा 1.1250 हैक्टेयर भूमि वर्तमान रिकॉर्ड में मुझ प्रार्थी के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 138, 139, 140, 141 किता 4 कुल रकबा 1.3193 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में मुझ प्रार्थी के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज रिकॉर्ड है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 153, 154, 155 किता 3 कुल रकबा 1.3597 हैक्टयेर भूमि में मुझ प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:59:48 IST
Reason: SelfAttested

के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। उक्त प्रार्थी की आराजीयात विपक्षीगण की कृषि भूमि से आपस में सटमा होने से विपक्षीगण से सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है। जिसका विपक्षीगण को कोई अधिकार नही है। अंत में निवेदन किया की मुझ प्रार्थी की कृषि भूमि की चारो दिशाओ में स्थित विपक्षीगण की कृषि भूमि के मध्य पत्थरगढी का आदेश प्रदान करवाया जावे एवं विपक्षीगण को इस बात के लिये पाबंद किया जावे की वो मुझ प्रार्थी के हिस्से में आने वाली आराजीयात में कोई दखलन्दाजी नही करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 5/1, 9, 10/1, 10/2, 14, 17 का वकालत पत्र अधिवक्ता श्री दिलीप वैष्णव द्वारा प्रस्तुत किया गया। विपक्षी संख्या 2, 4, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 18, 19, 20 बावजूद सूचना अनुपस्थि रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4, 3, 12, 13 के विरूद्ध अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नही चाहने बाबत निवेदन किये जाने से इनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाती है। विपक्षी 20, 21 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से राजपैराकार तहसीलदार द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा विपक्षी संख्या 5/1, 10/1 की और से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा भूमि की दिशाएं गलत बताई है। विपक्षीगण ने कभी कोई विवाद नही किया। प्रार्थी झगड़ालु प्रकृति का व्यक्ति है। हमसे लड़ाई झगड़ा करता है। प्रार्थी की जमीन हमारी जमीन से सटमा है। प्रार्थी ने अपनी भूमि पर तारबंदी कर रखी है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र हम विपक्षीगणो के विरूद्ध गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य है।

3. अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रकरणग्रस्त भूमि प्रार्थी की तन्हा खातेदारी हक की भूमि है जिसमें विपक्षीगण का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थी की चारों दिशाओ का सिमांकन करवाकर पत्थरगड़ी करवाए जाने का आदेश प्रदान करावें। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया की प्रार्थी द्वारा गलत आधारो पर वाद प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया । पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा फतहनगर पटवार हल्का फतहनगर तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 125 पर दर्ज आराजी नम्बर 148, 149, 150 किता 3 कुल रकबा 1.1250 हैक्टयर व खाता संख्या 124 पर दर्ज आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Runadia
Date: 2025.05.26 11:59:48 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 138, 139, 140, 141 किता 4 कुल रकबा 1.3193 हैक्टयर भूमि एवं खाता संख्या 127 पर दर्ज आराजी नम्बर 153, 154, 155 किता 3 कुल रकबा 1.3597 हैक्टयर भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार होकर प्रार्थी के नाम तन्हा खातेदारी अधिकार से दर्ज है। उक्त आराजीयात में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थी अपनी भूमि की नपति करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहता है। इससे विपक्षीगण के हक अधिकारो पर कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ेगा। इसलिये प्रार्थी को अपनी तन्हा खातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

5. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/-रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा फतहनगर पटवार हल्का फतहनगर तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077-80 के खाता संख्या 125 पर दर्ज आराजी नम्बर 148, 149, 150 किता 3 कुल रकबा 1. 1250 हैक्टयर, खाता संख्या 124 पर दर्ज आराजी नम्बर 138, 139, 140, 141 किता 4 कुल रकबा 1.3193 हैक्टयर भूमि एवं खाता संख्या 127 पर दर्ज आराजी नम्बर 153, 154, 155 किता 3 कुल रकबा 1.3597 हैक्टयर भूमि के चारों दिशाओं का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी प्रार्थी एवं विपक्षीगण/पड़ौसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। फीस कमिश्नर प्रार्थी मौके पर अदा करें।
6. तहसीलदार मावली को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
7. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:59:48 IST
Reason: SelfAttested